भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं० 2898

दिनांक 12.12.2016 को उत्तर दिए जाने के लिए

आर्सेनिक से प्रभावित क्षेत्रों के लिए स्वच्छ पेयजल

2898. डा॰ विनय पी॰ सहस्त्रबुद्धे:

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/प्रस्तावित हैं कि आर्सेनिक संदूषित जल वाले स्थानों में सभी को सुरक्षित पेयजल मिले और भारतीय नागरिकों के बीच पानी से होने वाली बीमारियां न फैलें;

(ख) देश के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कितने जिलों में ये समस्याएं व्याप्त हैं और सरकार ने इस हेतु किन–किन जिलों/स्थानों को चिह्नित किया है; और

(ग) जल में आर्सेनिक मौजूद होने के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस समस्या को समाप्त करने हेतु पूर्व में लिए गए निर्णय की मौजूदा स्थिति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

(श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी)

(क) पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा शासित केंद्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्लूपी) के अनुसार आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों सहित प्रत्येक ग्रामीण नागरिक की पहुंच 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एलपीसीडी) की न्यूनतम सेवा स्तर तक होनी चाहिए। यह मंत्रालय आर्सेनिक प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों सहित संपूर्ण ग्रामीण भारत में सुरक्षित पेयजल स्रोतों से नल जल आपूर्ति के प्रावधान को बढ़ावा देता है और जल शोधन संयंत्र में समुचित विसंक्रमण सुविधाएं होंगी ताकि जीवाणु संदूषण न हो। यह मंत्रालय स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) कार्यक्रम को शासित करता है जिसका लक्ष्य अक्टूबर, 2019 तक ग्रामीण भारत को खुले में शौचमुक्त (ओडीएफ) बनाना है जिससे जल जनित रोगों की रोकथाम में मदद मिलेगी।

(ख) एनआरडीडब्लूपी के अंतर्गत कवरेज की इकाई बसावट है जो ग्राम पंचायत का एक हिस्सा है। जिन जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को 07.12.2016 तक अभी भी सुरक्षित पेयजल मुहैया कराया जाना है उनकी राज्यवार संख्या **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

(ग) पेयजल में आर्सेनिक की उपस्थिति भूगर्भीय कारणों से होती है। सरकार का काम वर्तमान में शासित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम जिसे पहले तीव्रगामी ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम कहा जाता था, के जरिए अधिमान्यत: सतही जल निकायों से विशेषकर आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में नल जलापूर्ति उपलब्ध कराना है।

दिनांक 12/12/2016 को उत्तर दिए जाने हेतु राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2898 के उत्तर में उल्लिखित

अनुलग्नक-I

मंत्रालय की आईएमआईएस पर राज्यों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार दिनांक 07/12/2016 तक जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	बसावटों की संदूषण-वार संख्या						
		फ्लोराइड	आर्सेनिक	लौह	लवणता	नाइट्रेट	भारी धातु	कुल
		बसावटें	बसावटें	बसावटें	बसावटें	बसावटें	बसावटें	बसावटें
1	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	447	0	0	71	4	0	522
3	अरुणाचल प्रदेश	0	343	47	0	0	0	390
4	असम	155	3726	6350	0	0	6	10237
5	बिहार	1020	1077	2571	1	4	0	4673
6	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ़	75	0	774	3	1	0	853
8	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0
9	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0	0
10	गोवा	0	0	0	0	0	0	0
11	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0
12	हरियाणा	197	45	0	8	0	0	250
13	हिमाचल प्रदेश	0	157	0	0	0	0	157
14	जम्मू एवं कश्मीर	0	7	4	0	0	0	11
15	झारखंड	998	130	2061	1	6	0	3196
16	कर्नाटक	970	21	102	75	510	1	1679
17	केरल	73	3	223	103	37	0	439
18	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
19	मध्य प्रदेश	109	418	5	12	0	0	544
20	महाराष्ट्र	98	1	21	150	108	0	378
21	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0
22	मेघालय	0	1	10	0	0	0	11
23	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0
24	नागालैंड	0	0	43	0	0	0	43
25	ओडिशा	62	2	1635	127	3	0	1829
26	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	0
27	पंजाब	282	492	238	17	152	2080	3261
28	राजस्थान	6671	3	6	12912	1037	0	20629
29	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0
30	तमिलनाडु	0	0	204	50	1	0	255
31	तेलंगाना	1041	0	38	184	162	0	1425
32	त्रिपुरा	0	1	2615	0	0	0	2616
33	उत्तर प्रदेश	200	262	1	82	1	0	546
34	उत्तराखंड	0	0	15	0	3	0	18
35	पश्चिमी बंगाल	1046	8066	3809	147	1	0	13069
कुल		**13444**	**14755**	**20772**	**13943**	**2030**	**2087**	**67031**